

नोटिस

## विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम - (13) के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्याणियों से भरे हुए ग्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र0 सं0	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फर्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री अहलूवालिया सेल्स कारपो0 हींग की मण्डी, आगरा	फर्म 'सी' संख्या- 0579861 एवं- 0579862	खोने के कारण	02
02	सर्वश्री इन्डौर सेल्स कारपो0, हींग की मण्डी, आगरा	फर्म 'सी' संख्या- 0592933 से 0592937 तक	खोने के कारण	05
03	सर्वश्री विनोद सेनेटरी एण्ड हाउवियर गांधी नगर, महोबा	फर्म 'सी' संख्या-0183999 एवं 0184000	खोने के कारण	02
04	मेसर्स दी इन्डियन टायर ट्रेडर्स, गोलगड़ा, वाराणसी	फर्म 'सी' संख्या-0931204, 0931205, 0931206 एवं 0931207	गुम हो जाने के कारण	04

५०/-

( यूसी० दीक्षित )

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश ।

प०प०सं० एव दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, ३०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।

3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।

4- समस्त आयुक्त व्यापार कर वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को।

5- महालेखाकार, ३०प्र० १७१-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।

6- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१ वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

8- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

9- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

10- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ।

11- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।

12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

13- सूचना केन्द्र को ५ अंतिरिक्त प्रतियों।

14- मैनेजर अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को ५ प्रतियों एवं विधि अनुभाग को १५ अंतिरिक्त प्रतियों।

۱۰۰/-

(सूशील कुमार दुबे )

असिस्टेन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।